भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1664
उत्तर देने की तारीख 10 मार्च, 2025
सोमवार, 19 फाल्गुन 1946 (शक)

आंध्र प्रदेश के लिए कौशल ऋण योजना

1664. श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कौशल ऋण योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और स्वीकृत ऋणों की संख्या कितनी है तथा जारी की गई राशि का राज्यवार तथा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए जिलेवार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान ऋण की वापसी अदायगी नहीं किए जाने के मामलों की संख्या और ऋण की वापस अदायगी नहीं किए जाने के लिए जारी क्रेडिट गारंटी की राशि का राज्यवार तथा विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संशोधित मॉडल ऋण योजना प्रचालन में है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या का आज की तिथि तक राज्यवार और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के लिए जिलावार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ख): व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा अपने सदस्य बैंकों को कौशल ऋण योजना को अपनाने के लिए 10 जुलाई 2015 को परिचालित किया गया था। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

(एमएसडीई) ने सदस्य ऋणदाता संस्थानों को चूक की गई राशि के 75% की सीमा तक कौशल ऋण योजना को गारंटी कवर प्रदान करने के लिए 20 नवंबर 2015 को कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसएसडी) अधिसूचित की। राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) ऋण गारंटी निधि का प्रबंधन और संचालन करती है।

योजना के कवरेज को बढ़ाने और कौशल प्रशिक्षुओं/उम्मीदवारों को बिना किसी वित्तीय बाधा के उच्च श्रेणी के पाठ्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करने के लिए सीजीएफएसएसडी को 9 जुलाई 2024 को संशोधित और अधिसूचित किया गया। संशोधित सीजीएफएसएसडी में प्रमुख बदलावों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिकतम ऋण सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए करना, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) के माध्यम से गैर-एनएसक्यूएफ संरेखित पाठ्यक्रमों को शामिल करना, तथा एनबीएफसी/एनबीएफसी-एमएफआई और लघु वित्त बैंकों को सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में शामिल करना शामिल है।

इस स्कीम के प्रम्भंम से लेकर दिनांक 28.02.2025 तक 131.31 करोड़ रुपए की गारंटी राशि के साथ 11320 ऋण प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2024-25 (सिनांक 28.02.2025) तक विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत ऋणों की संख्या और वितरित राशि का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.02.2025) तक विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत ऋणों की संख्या और वितरित राशि का जिलावार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.02.2025) तक विगत पांच वर्षों के दौरान एनपीए हो चुके खातों और निपटाए गए ऋण गारंटी दावों की राज्यवार संख्या **अनुबंध-III** में दी गई है।

(ग) और (घ): जुलाई, 2024 में संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना वर्तमान में चालू है। संशोधन के बाद से, आंध्र प्रदेश राज्य में तीन (03) ऋण अनंतपुरा जिले में दो (02) और चित्तूर जिले में एक (01) स्वीकृत किए गए।

संशोधन के बाद से दिनांक 28.02.2025 तक स्वीकृत ऋणों की संख्या का राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

(ग) और (घ): हां, जुलाई, 2024 में संशोधित/संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना वर्तमान में चालू है। संशोधन के बाद से आंध्र प्रदेश राज्य में तीन (03) अनंतपुरा जिले में दो (02) और चित्तूर जिले में एक (01) ऋण स्वीकृत किए गए ।

संशोधन के बाद से 28.02.2025 तक स्वीकृत ऋणों की संख्या का राज्यवार विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	राज्य स्वीकृत ऋण की संख्या
आंध्र प्रदेश	03
बिहार	03
छत्तीसगढ	15
दिल्ली	04
गुजरात	02
हिमाचल प्रदेश	09
जम्मू और कश्मीर	01
झारखंड	100
कर्नाटक	169
केरल	393
मध्य प्रदेश	34
महाराष्ट्र	94
मेघालय	01
ओडिशा	02
पुदुचेरी	01
पंजाब	01
सिक्किम	01
तमिलनाडु	14
तेलंगाना	02
उत्तर प्रदेश	08
उत्तराखंड	02
पश्चिम बंगाल	32
योग	**891**

'आंध्र प्रदेश के लिए कौशल ऋण योजना' के संबंध में दिनांक 10.03.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1664 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

अनुबंध-1

(i) विगत पांच वर्षों के दौरान 2024-25 (28.02.2025) तक वितरित ऋणों की राज्य-वार संख्या

राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (28.02.2025)	कुल
आंध्र प्रदेश	6	3	24	4	3	40
असम	13	8	10	8	0	39
बिहार	13	8	13	5	3	42
चंडीगढ़	0	0	2	3	0	5
छत्तीसगढ	2	3	15	27	16	63
दिल्ली	15	3	15	3	4	40
गोवा	8	7	1	2	1	19
गुजरात	4	3	12	3	3	25
हरयाणा	19	7	24	4	0	54
हिमाचल प्रदेश	5	3	6	9	10	33
जम्मू और कश्मीर	1	0	1	1	1	4
झारखंड	6	4	1036	411	165	1622
कर्नाटक	47	67	137	134	207	592
केरल	238	243	410	636	588	2115
लक्षद्वीप	0	0	0	1	0	1
मध्य प्रदेश	16	7	13	19	34	89
महाराष्ट्र	119	99	230	140	117	705
मणिपुर	0	0	0	1	0	1
मेघालय	1	0	1	1	1	4
नगालैंड	0	0	1	0	0	1
ओडिशा	2	2	9	8	2	23
पुदुचेरी	0	4	2	1	3	10
पंजाब	13	1	5	2	1	22
राजस्थान	5	1	27	2	0	35
सिक्किम	0	3	1	0	1	5
तमिलनाडु	30	42	102	47	29	250

तेलंगाना	2	4	30	7	3	46
त्रिपुरा	1	0	1	0	0	2
उत्तर प्रदेश	20	6	27	9	13	75
उत्तराखंड	6	4	9	9	2	30
पश्चिम बंगाल	110	31	39	34	36	250
सकल योग	**702**	**563**	**2203**	**1531**	**1243**	**6242**

(ii) विगत पांच वर्षों के दौरान 2024-25 (28.02.2025) तक जारी ऋण की राज्यवार राशि

						लाख रूपये में
राज्य	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (दिनांक 28.02.2025)	कुल
आंध्र प्रदेश	8.44	3.6	14.65	4.81	2.01	33.51
असम	13.57	8.36	12.65	10.32	0	44.9
बिहार	17.01	9.54	13.98	5.87	2.34	48.74
चंडीगढ़	0	0	2.92	4.5	0	7.42
छत्तीसगढ	1.84	2.27	19.69	36.37	17.13	77.3
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	15.62	4.5	16.83	4.27	2.89	44.11
गोवा	9.28	7.99	0.78	2.37	0.88	21.3
गुजरात	5.46	4.23	13.18	4.19	2.88	29.94
हरियाणा	24.44	8.09	34.4	5.88	0	72.81
हिमाचल प्रदेश	3.78	3.1	5.09	7.04	8.53	27.54
जम्मू और कश्मीर	1.49	0	1.2	0.63	1.5	4.82
झारखंड	6.9	5.64	1461.6	616	202.29	2292.43
कर्नाटक	52.67	65.16	151.79	149.05	273.71	692.38
केरल	265.95	293.24	485.62	807.2	766.57	2618.58
लद्दाख	0	0	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	1.5	0	1.5
मध्य प्रदेश	18.11	7.96	14.8	21.33	27.79	89.99
महाराष्ट्र	138.78	103.77	268.53	162.75	140.34	814.17
मणिपुर	0	0	0	0.94	0	0.94
मेघालय	0.9	0	1.22	1.25	1.5	4.87
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	1.1	0	0	1.1
ओडिशा	2.58	2.51	11.23	10.32	2.42	29.06
पुदुचेरी	0	4.52	2.08	0.5	3.58	10.68
पंजाब	13.84	1.5	5.4	2.2	1.05	23.99
राजस्थान	7.2	1.5	39.94	1.06	0	49.7
सिक्किम	0	4.28	1.08	0	1.5	6.86
तमिलनाडु	35.12	45.01	96.85	50.17	31.62	258.77
त्रिपुरा	0.8	0	0.31	0	0	1.11

उत्तर प्रदेश	25.88	7.56	29.04	10.08	13.04	85.6
उत्तराखंड	6.06	5.95	11.77	12.69	2.27	38.74
पश्चिम बंगाल	93.82	32.74	43.22	37.48	47.42	254.68
तेलंगाना	3	3.63	29.69	5.98	3.37	45.67
	772.55	**636.63**	**2790.64**	**1976.74**	**1556.62**	**7733.21**

अनुबंध- II

आंध्र प्रदेश राज्य में 2024-25 (28.02.2025) तक पिछले पांच वर्षों के दौरान वितरित ऋणों की जिला-वार संख्या:

जिला	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25 (28.02.2025)**	**कुल**
अनंतपुर	0	0	0	1	2	3
चित्तूर	0	1	1	0	1	3
पूर्वी गोदावरी	1	0	7	1	0	9
गुंटूर	1	1	0	0	0	2
कृष्ण	0	0	11	0	0	11
कुरनूल	1	0	3	0	0	4
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	1	0	0	0	0	1
विशाखापत्तनम	0	0	1	1	0	2
विजयनगरम	1	0	1	0	0	2
पश्चिम गोदावरी	1	1	0	1	0	3
कुल	**6**	**3**	**24**	**4**	**3**	**40**

आंध्र प्रदेश राज्य में 2024-25 (28.02.2025) तक पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी ऋण की जिला-वार राशि:

						लाख रूपये में
जिला	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**कुल**
अनंतपुर	0.00	0.00	0.00	1.50	1.55	3.05
चित्तूर	0.00	1.10	0.89	0.00	0.46	2.45
पूर्वी गोदावरी	1.50	0.00	6.29	0.50	0.00	8.29
गुंटूर	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	3.00
कृष्णा	0.00	0.00	5.40	0.00	0.00	5.4
कुरनूल	1.50	0.00	1.03	0.00	0.00	2.53
प्रकाशम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5
श्रीकाकुलम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
विशाखापत्तनम	0.00	0.00	0.20	1.31	0.00	1.51
विजयनगरम	0.94	0.00	0.83	0.00	0.00	1.77
पश्चिम गोदावरी	1.50	1.00	0.00	1.50	0.00	4.00
योग	**8.44**	**3.60**	**14.65**	**4.81**	**2.01**	**33.5**

अनुबंध-III

विगत पांच वर्षों (2024-25 तक) के दौरान एनपीए हो चुके खातों और निपटाए गए क्रेडिट गारंटी दावों की राज्य-वार संख्या (दिनांक 28.02.2025)

लाख रुपए में

	एनपीए हुए खातों की कुल संख्या	एनपीए हो चुके खातों की कुल बकाया राशि	निपटाए गए कुल दावों की संख्या	निपटाए गए दावे की कुल राशि
आंध्र प्रदेश	0	0.00	0	0.00
असम	6	5.59	0	0.00
बिहार	2	1.83	0	0.00
चंडीगढ़	0	0.00	0	0.00
छत्तीसगढ	1	1.50	0	0.00
डीएनएच और डीडी	0	0.00	0	0.00
दिल्ली	6	6.62	2	1.76
गोवा	3	3.25	0	0.00
गुजरात	1	1.61	0	0.00
हरियाणा	18	25.19	6	6.92
हिमाचल प्रदेश	1	0.56	1	0.42
जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00
झारखंड	46	66.97	0	0.00
कर्नाटक	18	21.02	0	0.00
केरल	76	81.15	10	7.23
लद्दाख	0	0.00	0	0.00
लक्षद्वीप	0	0.00	0	0.00
मध्य प्रदेश	5	3.76	0	0.00
महाराष्ट्र	35	32.81	6	4.14
मणिपुर	0	0.00	0	0.00
मेघालय	0	0.00	0	0.00
मिजोरम	0	0.00	0	0.00
नगालैंड	0	0.00	0	0.00
ओडिशा	2	2.88	1	1.13
पुदुचेरी	1	1.04	0	0.00
पंजाब	2	1.96	2	1.40
राजस्थान	6	9.12	0	0.00

सिक्किम	2	2.04	0	0.00
तमिलनाडु	26	28.32	5	3.52
तेलंगाना	3	2.03	1	1.35
त्रिपुरा	0	0.00	0	0.00
उत्तर प्रदेश	10	8.71	5	3.52
उत्तराखंड	1	1.19	1	0.79
पश्चिम बंगाल	27	22.29	7	4.63
योग	**298**	**331.45**	**47**	**36.82**

*****